

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक-BRRDA(HQ)-MMGSY-153/25

1177

/पटना, दिनांक 05/6/25

प्रेषक,

उज्ज्वल कुमार सिंह, भा0प्र0से0

विशेष सचिव,

ग्रामीण कार्य विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
बिहार, पटना।

विषय : योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0108 मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (अवशेष) विपत्र कोड संख्या-37-4515-00-789-0108 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विभिन्न कार्य प्रमंडलों के अधीन संलग्न सूची के अनुसार कुल-100 (एक सौ) योजनाओं के निर्माण (नये सतहीकरण कार्य सहित) एवं छः वर्षीय सतत् अनुरक्षण कार्य हेतु सूची के स्तम्भ-15 में अंकित राशि की योजनावार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (अवशेष-अनुसूचित जाति) अन्तर्गत विभिन्न कार्य प्रमंडलों के अधीन वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विभिन्न कार्य प्रमंडलों के अधीन कुल- 100 (एक सौ) अदद योजनाओं के निर्माण (नये सतहीकरण कार्य सहित) एवं छःवर्षीय सतत् अनुरक्षण कार्य के लिए संलग्न सूची के स्तम्भ-10 में अंकित लम्बाई तथा स्तम्भ-15 में अंकित राशि की योजनावार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है। कुल-100 (एक सौ) अदद योजनाओं के प्रशासनिक स्वीकृति की कुल राशि ₹ 74612.60 लाख (सात सौ छियालीस करोड़ बारह लाख साठ हजार रुपये) मात्र होता है।

2. माननीय विभागीय मंत्री महोदय द्वारा दिनांक:- 04.06.2025 को निम्न शर्तों के साथ इन योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है :-

- I. ब्राडा के लिए निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकासी की जायेगी।
- II. कार्यपालक अभियंता (PIU) का दायित्व होगा कि कार्यों को विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे।
- III. इन योजनाओं के निर्माण एवं नये सतहीकरण कार्य (Road Edge Marking सहित) का भुगतान योजना शीर्ष-4515 एवं सतत् अनुरक्षण कार्य की राशि गैर योजना मद शीर्ष-3054 से भारित किया जायेगा।
- IV. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
- V. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अंतराल पर अनिवार्य रूप से किया जायेगा तथा प्रतिवेदन अभिलेखबद्ध किया जायेगा।

✓ ①